

छत्तीसगढ़ में लघु जलवदियुत परियोजनाओं की स्थापना को मल्लिगा बढ़ावा

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रपरिषद की बैठक में मंत्रपरिषद द्वारा लघु जलवदियुत नीति की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि का नरिणय लया गया ।

प्रमुख बढु

- कैबनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल वदियुत परयोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहति करने के लयि वभिगीय नीति-2012 की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन कया गया ।
- वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता की लघु जल वदियुत परयोजना की स्थापना हेतु जारी अधसूचना, जसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का नरिणय लया गया ।
- गौरतलब है का ऊर्जा वभिग द्वारा लघु जल वदियुत परयोजनाओं के अंतर्गत 25 मेगावाट क्षमता तक की जल वदियुत परयोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2012 में लघु जल वदियुत नीति प्रारंभ की गई, जसकी समय-सीमा 10 वर्ष पश्चात् फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है ।
- वदियुत मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ राज्य वदियुत नयामक आयोग द्वारा जारी दशा-नरिदेश के अनुसार राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों के उचति दोहन एवं नविश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु जल वदियुत नीति की अवधि में वृद्धि कया जाना राज्यहति में है ।
- उल्लेखनीय है का पीक घंटों में पावर मैनेजमेंट राज्य की वतिरण कंपनी के लयि एक बड़ी समस्या है । अतः पंप आधारति जल वदियुत परयोजनाओं के अंतर्गत जल का उचति भंडारण एवं प्रबंधन कर पीक घंटों में अतिरिक्त वदियुत उत्पादन कया जा सकता है, जो का राज्य की वतिरण कंपनी के पावर मैनेजमेंट तथा ऊर्जा करय बाधयता पूरी करने में सहायक होगी ।
- वर्तमान में राज्य में 65 मेगावाट क्षमता की लघु जलवदियुत परयोजनाओं का संचालन कया जा रहा है । इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावाट क्षमता की लघु जलवदियुत परयोजनाओं हेतु नविशकों द्वारा पीपीए नषिपादन की कार्यवाही प्रक्रयाधीन है तथा 171 मेगावाट क्षमता की परयोजनाओं का अंतरराज्यीय स्वीकृत प्रक्रयागत है ।
- प्रारंभिक सरवे के उपरांत 385 मेगावाट क्षमता की लघु जलवदियुत परयोजना की स्थापना हेतु लगभग 25 स्थलों का चहिनांकन कया जा चुका है । राज्य में लघु जलवदियुत परयोजनाओं में नविश को आकर्षति करने हेतु लघु जलवदियुत नीति की अवधि में 10 वर्ष की और वृद्धि करने का नरिणय लया गया है ।